आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

S.A.R. अपील वाद संख्या- 25R15/07-08

T.R. No- 16R15/08-09

प्रदीप भगत एवं अन्य - अपीलकर्त्ता

बनाम

निलिमा देवी - विपक्षी

आदेश

24/XII/11

यह अपील आवेदन दिनांक 02.08.07 को 1.प्रदीप भगत पिता गुप्तेश्वर भगत 2.विष्णु भगत पे0 जलेश्वर भगत साकिन+थाना खूँटी, जिला राँची, वर्तमान जिला खूँटी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा दिनांक 03.07.07 को SAR वाद संख्या 62/01-02 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। विवादित जमीन निम्न है:-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
महुवाटोली	खूँटी	95	270	0.18 एकड़

उभय पक्षों को विधिवत नोटिस तामिला कराया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा विपक्षी के पुत्री अनुश्री पूर्ति को नोटिस का तामिला कराया गया परन्तु विपक्षी दिनांक 04.08.09 तक न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं, जिससे बाध्य होकर एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस किया गया तथा लिखित बहस भी समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जगदीश मुण्डा की मृत्यु 1984 ईश्वी में हो गयी। मृत व्यक्ति पर की गयी कार्रवाई नहीं चल सकता है। यह मुकदमा कालबाधित है। अपीलकर्त्ता जाबरा मुण्डा, पे0 लाका मुण्डा, तथा उनकी बिधवा निलिमा को धारा 71 A छो0 का0 अधि0 के

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है। जाबरा मुण्डा खतियानी रैयत नहीं है। भूमि का स्वामी ही यह मुकदमा समय सीमा के अन्तर्गत कर सकता था पर न तो आवेदक भूमि का स्वामी है और न तो 30 वर्षो के अन्दर यह मुकदमा दायर किया गया है। वर्तमान आवेदन 2001 में दायर किया गया है, जो कि 57 वर्ष बाद दायर किया गया है। इन्डियन लिमिटेशन एक्ट 1963 था, जो संशोधित कर बिहार शेड्युल रेगुलेशन 1969 बनाया गया है। जिसमें दिनांक 09.02.1969 से 12 वर्ष तक ही आवेदन पत्र दायर किया जा सकता है। इस 12 वर्ष को विस्तार कर 30 वर्ष किया गया। बारह वर्ष बीत जाने पर एडभर्स पोजेशन पूरा हो गया हो और वह भी 08.02.69 के पूर्व तो वैसी हालत में अधिनियम की धारा 71 A में जो संशोधन किया गया है, इसके अन्तिम परन्तु मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। खाता नं0 95 के आर0एस0 खतियान में जाबरा मुण्डा पे0 लाका मुण्डा गैर दखलकार दर्ज है। इसका मतलब रैयतदार नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजातों को प्रमाण स्वरूप दाखिल किया है। (1) ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी जिला खूँटी का खेवट नं0 26/3 की छायाप्रति। (2) रजिस्ट्री पट्टा दिनांक 25.10.1943 की छायाप्रति। (3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, दाखिल अपील आवेदन, निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित जमीन का हस्तान्तरण दिनांक 25.10.1943 ई0 को रजिस्टर्ड डीड संख्या 6573 के द्वारा हुआ है। जोकि लगभग 64 वर्ष पूर्व का है। निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इसका जिक्र नहीं किया है।	

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	उक्त हस्तान्तरण शंभू भगत, पे0 अनन्त भगत के नाम से हुआ। तत्पश्चात मौजा महुवाटोली, थाना खूंटी, खाता नं0 95 प्लॉट नं0 270, रकवा 0.18 एकड़ मधे रकवा 0.09 एकड़ भूमि का मालगुजारी सन 1955-56 से सरकार को अदा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा मौजा महुवाटोली, थाना खूंटी, खाता नं0 95, प्लॉट नं0 270, रकवा 0.18 एकड़ भूमि पर वाद दायर कर भूमि वापस करने का आदेश पारित किया गया है परन्तु अपीलकर्त्ता को उक्त विवादित जमीन के आधे हिस्से के हकदार हैं। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा दो बिन्दुओं पर जांच नहीं की गयी है- 1. भूमि का हस्तान्तरण कब हुआ? 2. हस्तान्तरण कालबाधित है या नहीं? अतः उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण कर आदेश पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निम्न न्यायालय को मूल अभिलेख (Remand) वापस किया जाता है। उभय पक्षों को सूचित करें लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त 29/XII/11 खूँटी उपायुक्त 29/XII/11 खूँटी	11 (न्या०) 22-12-11